अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन
ALL INDIA MARWARI FEDERATION
(Regd. under W.B. Societies act XXVI of 1961)
४बी, डकबैक हाउस (४ तल्ला), ४१, शेक्सपीयर सरणी, कोलकाता - ७०० ०१७
4B, Duckback House (4th Floor), 41, Shakespeare Sarani, Kolkata-700 017
Email : aimf1935@gmail.com Phone : +91-33-4004 4089

आपणो समाज - एक समाज - श्रेष्ठ समाज

प्रमुख उद्देश्य
समाज सुधार, समरसता
राजनीतिक चेतना, सामाजिक
उत्थान एवं राष्ट्रीय एकता

राष्ट्रीय अध्यक्ष
शिव कुमार लोहिया
98305 53456

निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष
गोवर्धन प्रसाद गाड़ोदिया
94315 82989

राष्ट्रीय उपाध्यक्षगण
दिनेश कुमार जैन
98310 04542
रंजीत कुमार जालान
98975 83258
राज कुमार केडिया
94701 62200
निर्मल कुमार झुनझुनवाला
93347 20534
मधुसूदन सिकरिया
94351 06083
डॉ. सुभाष अग्रवाल
91415 00000

राष्ट्रीय महामंत्री
कैलाश पति तोदी
98300 44079

राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री
पवन कुमार जालान
98300 43207
संजय गोयनका
98300 31567

राष्ट्रीय संगठन मंत्री
महेश जालान
87092 33060

राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष
केदार नाथ गुप्ता
98306 48056

प्रादेशिक शाखा सम्मेलन
बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल
उत्कल, पूर्वोत्तर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़
आंध्रप्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु
गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना
केरल एवं सिक्किम

01C

अ.भा.मा.स./४०/२०२५-२६ दिनांकः ६ मई २०२५

श्री राजेश कुमार सिंघल
प्रादेशिक अध्यक्ष
दिल्ली प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन
दिल्ली

विषय - आगामी सत्र के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाचन

महोदय,

अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन के नये सत्र हेतु राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव संपन्न होगा।

राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाचन सम्मेलन के संविधान की धारा १६ के अंतर्गत तथा २७ अप्रैल २०२५ को कानपुर, (उ.प्र.) में आयोजित सम्मेलन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक में मिले अधिकार के तहत बनाई गई नियमावली **(संलग्न)** के अंतर्गत होगा।

अतः राष्ट्रीय संविधान की धारा १६ (३) के अनुसार, इस पत्र के माध्यम से आपके प्रादेशिक/प्रांतीय सम्मेलन से नये सत्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम हेतु सुझाव/प्रस्ताव आमंत्रित किया जा रहा हैं। प्रेषित वैध सुझावों/प्रस्तावों को चुनाव अधिकारी द्वारा अखिल भारतीय समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा तत्पश्चात राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाचन संपन्न होगा।

आपसे सादर अनुरोध है कि **आपका सुझाव/प्रस्ताव, सीलबंद लिफाफे में बुधवार, २८ मई २०२५, शाम ६.०० बजे तक (हार्ड कॉपी) स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक द्वारा, नीचे दिये गए पते या पर अवश्य प्राप्त हो जाये। चूँकि आपका सुझाव/प्रस्ताव गोपनीय है, अतः निम्न पते के अतिरिक्त कही और न भेजें।**

Shri Pradeep Jewrajka, Advocate
M/s. Jewrajka & Co.
12, Old Post Office Street, 2nd Floor
Kolkata - 700001
MB: 9831109922
Email: pradeepjewrajka@gmail.com

भवदीय

(प्रदीप जीवराजका)
मुख्य चुनाव अधिकारी

जानकारी हेतु प्रतिलिपिः-
राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्षगण एवं राष्ट्रीय महामंत्री
संलग्न : चुनाव संबंधी नियमावली

राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव हेतु नियमावली

(२७ अप्रैल २०२५ को कानपुर, उत्तर प्रदेश में आयोजित
राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रदत्त अधिकारों के अनुसार स्वीकृत)

१ संविधान की धारा १६ (१) के अनुसार राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन हेतु एक मुख्य चुनाव अधिकारी नियुक्त करेगी एवं अवश्यकतानुसार २ सहायक चुनाव अधिकारियों की भी नियुक्ति की जा सकेगी।

२ नियुक्ति के पश्चात मुख्य चुनाव अधिकारी सहायक चुनाव अधिकारियों के साथ सलाहकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की विधिवत अधिसूचना जारी करेंगे। यह सूचना सभी प्रादेशिक/प्रांतीय इकाईयों को पत्र, ईमेल, व्हाट्सअप, डाक या कुरियर के माध्यम से प्रेषित की जायेगी। सम्मेलन की वेबसाईट पर भी यह सूचना उपलब्ध रहेगी।

३ प्रत्येक प्रादेशिक/प्रांतीय सम्मेलन एक ही बार मात्र एक व्यक्ति का नाम ही प्रस्तावित कर सकेगा जो कि सम्मेलन का विशिष्ट संरक्षक/विशिष्ट/आजीवन सदस्य होना अनिवार्य होगा एवं उसकी उम्र संविधान की धारा १५ (३) के अनुसार ५५ वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए।

४ न्युनतम तीन प्रादेशिक/प्रांतीय अध्यक्षों द्वारा प्रस्तावित सदस्य ही अध्यक्षीय उम्मीदवार हो सकेगा।

५ प्रस्तावित नाम मुख्य चुनाव अधिकारी के पास पत्र, ईमेल द्वारा भेज सकते हैं लेकिन उसकी हार्ड कॉपी **दिनांकः २८ मई २०२५ को शाम ६.०० बजे** तक मुख्य चुनाव अधिकारी के पते पर प्राप्त हो जानी चाहिए। प्रस्ताव संबंधित प्रांत के लेटरहेड पर होना चाहिए। प्रांतीय अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव/सुझाव ही मान्य होगा एवं दिनांक २८ मई २०२५ के बाद पहुँचे हुए प्रस्तावों पर विचार नहीं होगा।

६ दिनांकः २९ मई २०२५ को प्रांतो द्वारा प्राप्त पत्रों एवं ईमेल को मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा सहायक चुनाव अधिकारियों के समक्ष खोले जायेंगे एवं वैध प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की जाएगी जिसे पत्र, ईमेल, व्हाट्सअप द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री, प्रांतीय अध्यक्षों/महामंत्रियों एवं वैध प्रत्याशियों को सूचित किया जाएगा।

७ वैध प्रत्याशी को अपना सहमति पत्र मुख्य चुनाव अधिकारी को **दिनांकः ६ जून २०२५** तक देना होगा।

८ मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा वैध प्रत्याशियों के नाम की सुचना मिलने के बाद राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष की सलाह पर नियमानुसार अखिल भारतीय समिति की बैठक आहुत करेंगे जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाचन होगा।

९ मतदान की स्थिति में अखिल भारतीय समिति की बैठक उपस्थित सदस्य ही राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के निर्वाचन में मतदान कर सकेंगे। मतदान स्थल पर उन्हें फोटो युक्त मान्य पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। मतदान गुप्त होगा एवं एक सदस्य का एक ही मत होगा। मतदान की प्रक्रिया बैलेट पेपर के माध्यम से संपन्न होगी। चुनाव संपन्न होने के पश्चात मुख्य चुनाव अधिकारी मत पत्रों की गिनती कर यथाशीघ्र चुनाव परिणाम की घोषणा करेंगे।

१० जिन सदस्यों का अखिल भारतीय समिति के वर्तमान सत्र का सदस्यता शुल्क (जो प्रति सत्र ५०० रुपया है) बकाया होगा वो उसका भुगतान करके ही मतदान में भाग ले सकेंगे।

११ यदि किसी कारणवश प्रस्ताव पत्र दाखिल करने के अन्तिम समय तक कोई वैध प्रस्ताव पत्र मुख्य चुनाव अधिकारी को प्राप्त नहीं होता है तो अगली अखिल भारतीय समिति की बैठक नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पर निर्णय करेगी।

१२ चुनाव संबंधी किसी भी प्रकार का मतभेद होने पर मुख्य चुनाव अधिकारी का निर्णय ही मान्य होगा। एवं मुख्य चुनाव अधिकारी कोई भी कारण बताने को बाध्य नहीं होगा।

(प्रदीप जीवराजका)
मुख्य चुनाव अधिकारी